Dr. Nishat Jhan 01/05/20 LL.B II Sem Constitutional Law of India

प्रश्न : राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिये संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? सम्बन्धित उपबन्धों का और निर्णीत वादों का भी हवाला दीजिए।

What provision does the Constitution make for the disposal of dispute relating to the election of President or Vice-President. Also refer to relevant provision and the decided cases.

उत्तर:

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों का निपटारा (Disposal fo disputes relating to the election of President or Vice-President)

संविधान (44वाँ संशोधन) अधिनियम 1978 द्वारा संशोधित अनु० 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विवादों के निबटारे के लिये निम्नलिखित उपबन्ध करता है

1. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बनिघत या उससे उत्पन्न सभी सन्देहों और विवादों की जाँच और उनका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

2. यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में ऐसे निर्णय से पूर्व किये गये कार्य, ऐसे निर्णय के कारण अवैध नहीं होंगे।

3. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद् विधि द्वारा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित किसी बात को विनियमित कर सकेगी।

4. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जायगी कि उसका चुनाव करने वाले निर्वाचन मण्डल (electoral college) के सदस्यों में, चाहे जिस कारण भी हो, कोई रिक्तता रही है।

निर्णीत वाद (Decided cases)

1. **डॉ० खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया** AIR 1957 S.C. 694 के मामलें में सन् 1957 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव को स्थगित करने के लिए याचिका दायर की गई थी। क्योंकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में तब तक आम चुनाव नहीं हुए थे, जिस कारण से राष्ट्रपति का निर्वाचन–मण्डल अधूरा था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई आपत्ति तभी की जा सकती है जब निर्वाचन हो चुका हो; अतः याचिका खारिज कर दी गई।

डॉ० खरे ने, पुनः निर्वाचन पूरा हो जाने के बाद, उसी आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने इस बार इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्त्ता न तो उस चुनाव में उम्मीदवार थे और न ही मतदाता थे, जबकि 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति' के निर्वाचन अधिनियम 1974 की धारा 14 के अन्तर्गत किसी चुनाव पर आपत्ति या तो चुनाव के किसी उम्मीदवार के द्वारा या दस या दस से अधिक मतदाताओं के द्वारा ही की जा सकती है।

2. **'इन री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन'** AIR 1974 S.C. 1582 के मामले में, गुजरात विधान सभा के विधटित हो जाने के कारण राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल अधूरा था। अतः उच्चतम न्यायालय के सामने मुख्य विचारणीय प्रश्न यह

था कि क्या राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उत्पन्न रिक्तता की पूर्ति के लिये राष्ट्रपति का चुनाव अनु० 62 (1) के अन्तर्गत, पदावधि की ऐसी समाप्ति से पूरा कराया जाना चाहिये जबकि गुजरात विधान सभा के विघटित होने के कारण राष्ट्रपति का निर्वाचक–मण्डल अधूरा था?

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव उसके पद की अवधि के समाप्त होने के पहले ही पूरा किया जाना चाहिये ओर जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं करता है, तब तक वह इस पद को धारण किये हुए रहेगा।

प्रश्न 77 : केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के गठन, कार्यों और शक्तियों का उल्लेख कीजिये।

Describe the constitution, function